न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.　　　/ 2016 पुनरीक्षण

राकेश कुमार दीवान पुत्र स्व. सतीश कुमार दीवान निवासी गणपति रिसोर्ट (शिवपुरी रोड) श्योपुर तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्र.कं. /15–16/बी–121 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 28.3.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि आवेदक के पूर्वजों के स्वत्व स्वामित्व की है। आवेदक के पूर्वज उसके पश्चात आवेदक वादग्रस्त भूमि पर लगभग 50 वर्ष से काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी आवेदक का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होकर मौके पर काबिज ह।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग़रानी-1400-एक/16 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य कलेक्टर जिला श्योपुर	